

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या—180 / 2018

जुलेखा खातुन

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14— फार्म संख्या—563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
25.01.2023	<p>यह मुद्रांक अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या—7213 / 2018 में दिनांक—30.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में जुलेखा खातुन, पति मो० मुमताज अहमद ने सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने मुद्रांक वाद संख्या 53 / 2003—04 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में दिनांक 27.09.2018 को दायर किया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के वैशाली जिले के महनार अंचलान्तर्गत थाना नं० 540 में कुल रकवा 228.25 डी० के लिए इनके उपस्थापित केवाला दिनांक—20.10.2003 में भुगताये गये मुद्रांक राशि में कमी पाते हए इन्हें कमी मुद्रांक की राशि 189566/- एवं उस पर जुर्माना की राशि 18957/- अर्थात् कुल 208523/- जमा किये जाने का आदेश दिया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सविस्तार सुना। अपीलकर्ता का दावा है कि प्रश्नगत भूमि दहनाल/गंग शिक्स्त की श्रेणी में आता है, जबकि निम्न न्यायालय (सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर) द्वारा इसे कृषि भूमि का मूल्यांकन मानकर भुगताये गये राशि में कमी मुद्रांक पाते हुए अपना आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता</p>	

द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No:-7213/2018 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2018 से सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने के निदेश के साथ यह अपीलवाद इस न्यायालय में दायर है। माननीय उच्च न्यायालय का समादेश है कि:—

“ If the petitioners file any such appeal within a period of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order, along with an application for condonation of delay, the appellate authority will consider the same, keeping in view the fact that the writ application was pending before this Court.”

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि उनके द्वारा उपस्थापित दस्तावेज में प्रभावी MVR के अनुसार मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया, जबकि अवर निबंधक, महनार के द्वारा उच्च मूल्य के आधार पर दस्तावेज को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को रेफर कर दिया गया। उनका दावा यह भी है कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें बिना किसी सूचना के एवं बिना किसी स्थलीय जॉच के उनके अनुपस्थिति में दिनांक 03.02.2016 को आदेश पारित किया गया है, जो मलत एवं खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत केवाला को न्यूनतम मूल्यांकन पंजी से कम मूल्य पर दस्तावेज को निबंधन हेतु अवर निबंधक, महनार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अवर निबंधक द्वारा दस्तावेज के निबंधन स्वीकार करते समय उसे न्यूनतम मूल्यांकन से कम पाये जाने के कारण सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को रेफर कर दिया गया। अब जहां तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता दिनांक 02.03.2012 को उपस्थित होकर प्रश्नगत भूमि को गंग शिकस्त बताया है। साथ ही अपीलकर्ता को उपस्थित होने हेतु निम्न न्यायालय ने अपने पत्रांक-126

दिनांक 18.02.2012 के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सूचना भी निर्गत किया है। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2016 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि “ प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपन पक्ष/ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। मामला राजस्व हित से संबंधित होने के कारण लंबित रखना उचित नहीं है। अतएव सम्यक विचारोपरांत निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित/प्रस्तावित बाजार मूल्य 18,54,000/- पर स्वीकृति देते हुए एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।” जिससे उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि Bihar Stamp (Prevention of undervaluation of instruments) Rules, 1995 के नियम 12 के तहत दस्तावेज द्वारा अंतरित अराजी की स्थिति एवं अवस्थिति के अनुरूप मुद्रांक शुल्क देय है। साथ ही विभागीय पदाधिकारी द्वारा संधारित न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में दर्ज राशि से कम पर निबंधन नहीं करने का निर्णय राजस्व हित में है। अवर निबंधक, महानार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2001 में प्रश्नगत भूमि को महानार नगर पालिका की सीमा में बताया गया है। अतः अपीलकर्ता का न्यूनतम निर्धारित राशि से भी कम पर नगर क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन के निबंधन का दावा को अमान्य किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

अपीलकर्ता को आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित किये जाने की तिथि से एक माह के अंदर प्रभार्य शुल्कादि का विहित चालान के माध्यम से जमा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अपीलकर्ता द्वारा प्रभार्य शुल्कादि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त